


उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-5
संख्या-833/पाँच-5-2020
लखनऊ दिनांक: 10 अप्रैल, 2020
कार्यालय-ज्ञाप

भारत सरकार के पत्र संख्या-एन0एच0एस0आर0सी0/20-21/ई0डी0सेक0/कोविड-19/05, दिनांक 28.03.2020 में दिये गये निर्देशों के अनुसार कोविड-19 के संक्रमण से प्रभावित रोगियों को बेहतर उपचार की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से एपिडेमिक एक्ट-1897 (अधिनियम संख्या: 03, वर्ष 1897) की धारा-2 के अधीन निर्गत उत्तर प्रदेश एपिडेमिक डिजीज कोविड-19 नियमावली-2020 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यालय ज्ञाप संख्या-819/पाँच-5-2020, दिनांक 09 अप्रैल, 2020 द्वारा प्रदेश के निम्नलिखित 06 निजी चिकित्सालयों को डेडिकेटेड "कोविड-19" एल-2 चिकित्सालय के रूप में अधिसूचित किया गया है:-

क्र0सं0	निजी चिकित्सालय एवं जनपद का नाम	शैया की संख्या	वेन्टीलेटर की सं0
1.	फातिमा अस्पताल, मऊ	250	4
2.	मैकुल अस्पताल, पीलीभीत	30	10
3.	गंगा अमृत मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, शामली	56	15
4.	शांति नर्सिंग होम, देवरिया	20	1
5.	ब्राडवेल क्रिस्चियन अस्पताल, फतेहपुर	40	1
6.	श्रीराम हास्पिटल, हाथरस	150	3

2- उक्त कार्यालय ज्ञाप में क्रमांक-4 पर अंकित "शान्ति नर्सिंग होम देवरिया" के स्थान पर "सावित्री नर्सिंग होम, देवरिया" पढ़ा जाएगा।

3- उक्त कार्यालय ज्ञाप संख्या-819/पाँच-5-2020, दिनांक 09 अप्रैल, 2020 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए।



10.4.20
अमित मोहन प्रसाद
प्रमुख सचिव।

संख्या- 833(1)/पाँच-5-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, साचीज उ0प्र0, लखनऊ।
4. निदेशक, संचारी रोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/मुख्य चिकित्साधिकारी, सम्बन्धित मण्डल/जनपद को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(प्राणेश चन्द्र शुक्ल)
उप सचिव।